न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018

प्र पुनर्विलोकन / टीकमगढ़ / भूरा / 2018 / 0426

श्री राम सेवक शर्मा
द्वारा आज दिo 12-1-18
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-2-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 12/1/18

प्रागी, सुक्कू, हल्के तनय गुल्ला लोधी
निवासी ग्राम कुदौरा तहसील बल्देवगढ़ जिला
टीकमगढ़ म.प्र. --- आवेदक

विरूद्ध

म. प्र. शासन ---- अनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.स. 1959
विरूद्ध आदेश दिनांक 3.1.18 द्वारा पारित न्यायालय राजस्व मण्डल
म.प्र. ग्वालियर ﴾ पीठासीन सदस्य श्री गोपाल रेड्डी साहब ﴿
प्र. क्र. पचर्ट निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 6051
के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

आवेदक का पुर्नविलोकन आवेदन पत्र तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

1प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, प्रकरण में वर्णित सर्वे नम्बरान 647 जुज, 648 651, 655 रकबा 0.963 हेक्टेयर स्थित ग्राम कुदौरा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ का आवेदकगण भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। आवेदकगण को यह पटटा तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 14/अ-19﴾4﴿ / 1998-99 प्रकरण दर्ज कर आवेदकगण को पात्र पाते हुए 23.6.99 को उक्त भूमि का पटटा आवेदकगण को प्रदाय किया गया ।

2. यह कि, कल्पना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा आवेदक से ...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

प्रकरण क्रमांक - एक/रिव्यू/टीकमगढ़/भू0रा0/2018/0426 जिला - टीकमगढ़

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05/04/19 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक एक/निग0/टीकमगढ़/भू0रा0 / 2017/6051 में पारित आदेश दिनांक 03-1-2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) कीं धारा 51 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2/ संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :-<br>1- किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश पारित किया गया था, पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2- मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3- अन्य कोई पर्याप्त कारण<br>इस प्रकरण में उक्त आधारों में से कोई आधार विद्यमान नहीं है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा आदेश पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार रहित है । मूल प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा उक्तआधार मूल प्रकरण में भी उठाया गया था तथा निगरानी 6 वर्ष 10 माह विलंब से इस न्यायालय में पेश की गई है । आलोच्य आदेश | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | एक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

को देखने से स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार करके आदेश पारित किया गया है । आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि दखिलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 की धारा 3 के अनुसार 2-10-84 को कब्जा होना आवश्यक है, आवेदक का 2-10-84 को कब्जा था इस संबंध में ना तो कोई प्रमाण निगरानी प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया और ना ही इस पुनरावलोकन प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनरावलोकन का आधार नहीं है । इस न्यायालय द्वारा विधिवत विचार करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूं ।

उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।

प्रशासकीय सदस्य